<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

विविध अपील (प्रतिकर) - 1645/2008

अपीलकर्ता प्रदीप मजूमदार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी श्रीमती दुवास बाई एवं अन्य

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 30 के अंतर्गत अपील।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिवक्ताओं की उपस्थिति:

श्री पराग कोटेचा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता। श्री संजय पटेल, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता।

श्री बी. डी. गुरु, प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के विद्वान अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(26.09.2013)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश .

(1) अपीलकर्ता/नियोक्ता ने आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर, कोरबा (संक्षेप में 'आयुक्त') द्वारा दिनांक 29.9.2008 को प्रकरण क्रमांक 24/डब्लूसी अधिनियम/07(च) में पारित अवार्ड की वैधता और औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (संक्षेप में अधिनियम, 1923) की धारा 30 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधिनियम, 1923 की धारा 10 के अंतर्गत कर्मकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है I

(2) अपील के निस्तारण के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

(2.1) मृतक श्रमिक स्वर्गीय श्री अनुज दास के विधिक प्रतिनिधियों ने 26.7.2007 को आयुक्त के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया गया कि दावेदार संख्या 1 श्रीमती दास बाई के पति और दावेदार संख्या 2 से 4 के पिता श्री अनुज दास, कोरबा नगर निगम में सेंटरिंग का काम कर रहे ठेकेदार श्री प्रदीप मजूमदार के यहाँ कार्यरत थे और 25.3.2004 को 11000 वोल्ट के उच्च दाब वाले बिजली के तार के संपर्क में आने से उनकी मृत्यु हो गई। आगे यह निवेदन किया गया कि मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष थी और वे प्रतिदिन 100 रुपये कमाते थे। दुर्घटना और सभी औपचारिकताओं के बाद भी नियोक्ता ने कोई प्रतिकर नहीं दिया, जिसके कारण अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अंतर्गत 2,70,309 रुपये के प्रतिकर का दावा करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

(2.2) अपीलकर्ता/नियोक्ता ने दावा याचिका का विरोध करते हुए अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया कि उक्त श्रमिक कोरबा नगर निगम द्वारा नियोजित था और यदि कोई प्रतिकर बनता है तो नगर निगम ही उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 30.07.207 को प्रस्तुत किया गया दावा आवेदन, 1923 के अधिनियम की धारा 10(1) में निर्धारित समय सीमा से बाहर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2.3) इसके बाद, आयुक्त द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2/नगर निगम को भी नोटिस भेजा गया। निगम ने उत्तर प्रस्तुत करते हुए कहा कि कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया था और मृतक निगम का कर्मचारी या श्रमिक नहीं था, इसलिए निगम प्रतिकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(2.4) प्रत्यर्थीगण/दावेदारों ने दो साक्षियों का परीक्षण किया, जिनमें मृतक की विधवा दास बाई (आ.सा. - 1) और मृतक के सहकर्मी गोविंद (आ.सा.2) शामिल थे, जबकि अपीलकर्ता/नियोक्ता ने स्वयं का परीक्षण कराया और प्रत्यर्थी क्रमांक 2/निगम ने अपने-अपने पक्ष के समर्थन में श्री ग्यास अहमद का परीक्षण किया है ।

(2.5) पक्षों के अभिवचनो का मूल्यांकन करने के बाद, आयुक्त ने इस संबंध में विवाधक विरचित किये कि क्या मृत्यु रोजगार के दौरान हुई थी और क्या दावा समय सीमा से बाधित था।

(2.6) आयुक्त ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक को कोरबा नगर निगम द्वारा आवंटित कार्य के लिए अपीलकर्ता/अनावेदक संख्या 1 द्वारा नियोजित किया गया था और इसलिए वह प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(2.7) माननीय आयुक्त ने यह भी स्पष्ट रूप से निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि दावेदारों द्वारा दो वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण बताए गए हैं। और उन्हें शास्ति और ब्याज सहित 2,70,309 रुपये का प्रतिकर प्रतिकर प्रदान किया गया।

(3) अपीलकर्ता-नियोक्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा ने निवेदन किया कि माननीय आयुक्त का यह मानना पूर्णरूप से अनुचित है कि दुर्घटना की तिथि को अपीलकर्ता मृतक श्रमिक का नियोक्ता था। श्री कोटेचा ने आगे निवेदन किया कि माननीय आयुक्त ने 1923 के अधिनियम की धारा 10 (1) के अंतर्गत निर्धारित दो वर्ष की अवधि के बाद दाखिल किए गए आवेदन को क्षमा करने में अवैधता कारित की है।

(4) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय पटेल ने यह निवेदन किया है कि स्वर्गीय अनुज दास, अपीलकर्ता/नियोक्ता के यहाँ कार्यरत थे और दुर्घटना/मृत्यु की तारीख से दो वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने के संबंध में उनके द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाया गया है। जबकि, प्रत्यर्थी क्रमांक 2/निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु ने भी यह निवेदन किया है कि अपीलकर्ता/नियोक्ता के साथ सेंटरिंग कार्य के लिए एक अनुबंध किया गया था, जिसमें परिवहन और सभी श्रम शुल्क शामिल थे, जिनका भुगतान निगम द्वारा अपीलकर्ता को किया जाना था; अतः, दायित्व सही रूप से अपीलकर्ता/नियोक्ता पर ही निर्धारित किया गया है I

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी, उनके क्रमशः तर्कों पर विचार किया और आयुक्त के अभिलेख का अवलोकन किया।

(6) इस अपील को निम्नलिखित दो विधि के सारभूत प्रश्नों पर अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है:

(i) क्या माननीय आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर इस बात को अभिनिर्धारित करने में उचित थे कि दुर्घटना की तिथि पर अपीलकर्ता मृतक-कर्मचारी का नियोक्ता था?

(ii) क्या माननीय आयुक्त, कर्मकार प्ररिकर 1923 के अधिनियम की धारा 10(1) में निर्धारित दुर्घटना की तिथि से दो वर्ष से अधिक समय तक दावा याचिका दाखिल करने में हुई विलम्ब को क्षमा करने में उचित थे?

(7) विधि के प्रथम सारभूत प्रश्न पर निष्कर्ष:

(7.1) दावेदारों ने दो साक्षीयों की परीक्षण की है, जिनमें से एक स्वयं दावेदार क्रमांक 1 है, जो मृतक श्रमिक की विधवा है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट रूप कहा है कि उनके पति सेंटरिंग फिक्सर (मिस्त्री) के रूप में काम कर रहे थे। दावेदारों ने मृतक श्रमिक के सहकर्मी

गोविंद का भी परीक्षण किया, जो उनके साथ काम करता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ठेकेदार प्रदीप के साथ काम कर रहे थे। प्रति परीक्षण में भी उन्होंने कहा कि भुगतान प्रदीप द्वारा किया जा रहा था, जो नियोक्ता है, और आगे कहा कि वे प्रदीप मजूमदार के निर्देशों के अंतर्गत काम कर रहे थे।

(7.2) अपीलकर्ता श्री प्रदीप मजूमदार ने आयुक्त के समक्ष स्वयं का परीक्षण कराया और स्वीकार किया कि उन्हें कोरबा नगर निगम द्वारा कार्य आवंटित किया गया था (प्रदर्श डी/1) । प्रत्यर्थी नगर निगम की ओर से श्री ग्यास मोहम्मद का परीक्षण कराया गया, जिन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में निगम द्वारा बाल्मीकि आवास योजना के अंतर्गत भवन का निर्माण किया जा रहा था और सेंटरिंग का कार्य मेसर्स के. के. मजूमदार को आवंटित किया गया था। मृतक उक्त ठेकेदार के यहाँ कार्यरत थे और श्री मजूमदार द्वारा किए जा रहे सेंटरिंग कार्य के दौरान अनुज दास की मृत्यु घटित हुइ । अनुबंध की प्रति भी प्रदर्श डी/3 के रूप में प्रस्तुत की गई है।

(7.3) उपरोक्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, आयुक्त ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अपीलकर्ता/नियोक्ता अपने पिता के. के. मजूमदार के नाम पर सेंटरिंग का काम और सामग्री की आपूर्ति करता था। मृतक अनुज दास सेंटरिंग फिक्सर (मिस्त्री) के पद पर कार्यरत था और काम करते समय वह उच्च-दाब वाले बिजली के तार के संपर्क में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7.4) मैंने आयुक्त के समक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और मेरा मत है कि आयुक्त द्वारा अभिलिखित किया गया यह निष्कर्ष कि मृतक अपीलकर्ता/नियोक्ता का कर्मचारी था और उसकी मृत्यु 25.3.2004 को रोजगार के दौरान हुई, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है और इस प्रकार अभिलिखित किए गए निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं है। मैं एतद्द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष की पुष्टि करता/करती हूँ कि मृतक अनुज दास अपीलकर्ता का कर्मचारी था, जिसकी मृत्यु रोजगार के दौरान सेंट्रिंग फिक्सर (मिस्तरी) के पद पर कार्य करते समय हुई। माननीय आयुक्त यह अभिनिधार्रित करने दुर्घटना की तिथि को अपीलकर्ता मृतक का नियोक्ता था। इस प्रकार, विधि का मूल प्रश्न संख्या 1 तदनुसार हल हो जाता है और अपीलकर्ता/नियोक्ता के विरुद्ध निर्णय लिया जाता है।

विधि के द्वितीय सारभूत प्रश्न का निष्कर्ष:

(8.1) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कोटेचा ने निवेदन किया कि 25.3.2004 को घटित हुई मृत्यु को देखते हुए, अधिनियम, 1923 की धारा 10 (1) के अंतर्गत दावेदारों का आवेदन 24.3.2006 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और विलंब क्षमादान के आवेदन के साथ 30.7.2007 को प्रस्तुत किया गया प्रतिकर आवेदन बिल्कुल भी पोषणीय नहीं था। उन्होंने

आगे निवेदन किया कि आयुक्त द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब को क्षमा करना उचित नहीं था, क्योंकि दावेदारों द्वारा दुर्घटना की तिथि से दो वर्ष की अवधि के बाद आवेदन प्रस्तुत करने का कारण पर्याप्त नहीं था। अभिलेख में यह स्वीकृत स्थिति है कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले श्री अनुज दास, जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष है, अपीलकर्ता के अधीन सेंट्रिंग फिक्सर (मिस्त्री) के रूप में कार्यरत थे और श्री अनुज दास, जिनकी मजदूरी प्रतिदिन 100 रुपये थी, की दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे लगभग 23 वर्षीय विधवा और तीन अवयस्क बच्चे छोड़ गए हैं। वे निरक्षर ग्रामीण हैं और कोरबा जिले के करतला तहसील के मदुवरानी के थारकपुर गांव में रहते हैं। आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि श्री अनुज दास की मृत्यु के समय उन्हें नियोक्ता का सही नाम और पता ज्ञात नहीं था। यहां तक कि चालान प्रस्तुत करते समय भी वे नियोक्ता का नाम और पता सुनिश्चित नहीं कर सके और गरीब ग्रामीण होने के कारण उनके पास आवेदन दाखिल करने के लिए आर्थिक साधन नहीं थे, जिसे वे अंततः 30.07.2007 को दाखिल कर सके।

(8.2) अधिनियम, 1923 की धारा 10 (1) में यह प्रावधान है कि किसी आयुक्त द्वारा दावे प्रतिकर पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि दुर्घटना की सूचना, उसके घटित होने के बाद यथाशीघ्र न दी गई हो और जब तक कि दावा दुर्घटना घटित होने के दो वर्ष के भीतर या मृत्यु की स्थिति में मृत्यु की तिथि से दो वर्ष के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुत न किया गया हो। यद्यपि, अधिनियम, 1923 की धारा 10 (1) के पाँचवें परंतुक में यह प्रावधान है कि आयुक्त किसी भी प्रकरण में प्रतिकर के किसी भी दावे पर विचार कर सकता है और उसका निर्णय कर सकता है, भले ही सूचना न दी गई हो या धारा 10 की उपधारा (1) में दिए गए प्रावधान के अनुसार उचित समय पर दावा प्रस्तुत न किया गया हो, यदि वह संतुष्ट है कि सूचना न देने या दावा प्रस्तुत न करने में विफलता, जैसा भी मामला हो, पर्याप्त कारण से हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8.3) इस प्रकार, अधिनियम, 1923 की धारा 10(1) के अनुसार, दावेदारों द्वारा धारा 10(1) के अंतर्गत आवेदन मृत्यु की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना था, यद्दपि , आयुक्त को दो वर्ष की अवधि के बाद प्रस्तुत किए गए ऐसे किसी भी दावे पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट है कि दावा प्रस्तुत करने में विफलता पर्याप्त कारण से हुई थी। वर्तमान प्रकरण में, आयुक्त ने उचित विचार-विमर्श और अभिलेख में मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद पाया कि दो वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण बताए गए हैं और इसलिए उन्होंने दिनांक 29.9.2008 के आदेश द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर दिया।

(8.4) सर्वोच्च न्यायालय ने (1998) 7 एससीसी 123 (एन. बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति) में प्रकाशित एक निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार न्यायालय स्पष्टीकरण को पर्याप्त मान लेता है, तो यह विवेकाधिकार के सकारात्मक प्रयोग का परिणाम है और सामान्यतः उच्च न्यायालय को ऐसे निष्कर्ष को फेरबदल नंही करना चाहिए, विशेष रूप से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में, जब तक कि विवेकाधिकार का प्रयोग पूरी तरह से निराधार आधारों पर या मनमाना या विकृत न हो।

(8.5) एन. बालकृष्णन विरुद्ध एम. कृष्णमूर्ति (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"11. परिसीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए नहीं हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पक्ष विलंबकारी हथकंडे न अपनाएं, बल्कि शीघ्रता से अपना उपाय खोजें। विधिक उपाय प्रदान करने का उद्देश्य विधिक क्षति के कारण हुए हानि की भरपाई करना है। परिसीमा का नियम इस प्रकार हुई विधिक क्षति के निवारण के लिए विधिक उपाय की एक समय सीमा निर्धारित करता है। समय अनमोल है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय बीतने के साथ-साथ नए कारण उत्पन्न होते रहेंगे, जिससे नए व्यक्तियों को न्यायालयों में जाकर कानूनी उपाय खोजने की आवश्यकता होगी। इसलिए प्रत्येक उपाय के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। उपाय शुरू करने की अनिश्चित अवधि अनिश्चितता और परिणामस्वरूप अराजकता को जन्म दे सकती है। इस प्रकार परिसीमा का अधिनियम जन नीति पर आधारित है। यह इस सिद्धांत में निहित है कि हित पुनर्प्रकाशित मुकदमेबाजी के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। परिसीमा के नियम विलंबकारी हथकंडों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं, बल्कि उनका तुरंत निवारण करने के लिए हैं। इसका मतलब यह है कि हर कानूनी उपाय को कानून द्वारा तय की गई अवधि तक जीवित रखा जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8.6) हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने जेटी 2013 (12) एससी 450 (ईशा भट्टाचार्जी विरुद्ध रघुनाथपुर नफर अकादमी की प्रबंध समिति और अन्य) में प्रकाशित एक निर्णय में विलंब क्षमादान के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

"15. उपरोक्त निर्णयों से व्यापक रूप से निम्नलिखित सिद्धांत निकाले जा सकते हैं:

i) विलंब क्षमादान के आवेदन पर विचार करते समय उदार, व्यावहारिक, और न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि न्यायालयों को अन्याय को वैध नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि अन्याय को दूर नहीं अपनाना करना उनका कर्तव्य है।

ii) "पर्याप्त कारण" शब्द को उसके उचित अर्थ, दर्शन और उद्देश्य के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये शब्द मूल रूप से लचीले हैं और इन्हें वर्तमान स्थिति के अनुसार उचित परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाना चाहिए।"

(iii) वास्तविक न्याय सर्वोपरि और निर्णायक होने के कारण तकनीकी पहलुओं पर अनावश्यक और अनुचित बल नहीं दिया जाना चाहिए।

(iv) जानबूझकर विलम्ब करने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अधिवक्ता या वादी की घोर लापरवाही को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(v) देरी के लिये क्षमा मांगने वाले पक्ष की सद्भावना की कमी एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।

(vi) यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कड़े प्रमाणों का पालन करने से सार्वजनिक न्याय प्रभावित नहीं होना चाहिए और सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायालयों को सतर्क रहना आवश्यक है ताकि अंततः न्याय की कोई वास्तविक विफलता न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा में तर्कसंगतता की अवधारणा समाहित होनी चाहिए और इसे पूरी तरह से अनियंत्रित छूट नहीं दी जा सकती।

(viii) अत्यधिक देरी और अल्प अवधि या कुछ दिनों की देरी में अंतर है, क्योंकि पहले मामले में पूर्वाग्रह का सिद्धांत लागू होता है जबकि दूसरे मामले में यह लागू नहीं हो सकता है। इसके अलावा, पहले बिंदु पर कठोर दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जबकि दूसरे बिंदु पर उदार व्याख्या की आवश्यकता है।

ix) किसी पक्ष की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित आचरण, व्यवहार और दृष्टिकोण प्रासंगिक कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय के तराजू को तौलना होता है और इस सिद्धांत को उदार दृष्टिकोण के नाम पर पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

x) यदि दी गई व्याख्या मनगढ़ंत है या आवेदन में बताए गए आधार काल्पनिक हैं, तो न्यायालयों को सतर्क रहना चाहिए ताकि दूसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से ऐसे प्रकरण का सामना न करना पड़े।

xi) यह ध्यान में रखना चाहिए कि परिसीमा अधिनियम की तकनीकी पेचीदगियों का सहारा लेकर कोई भी धोखाधड़ी, असत्य कथन या प्रक्षेप से बच नहीं सकता।

xii) तथ्यों के संपूर्ण सीमा की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और दृष्टिकोण न्यायिक विवेक के प्रतिमान पर आधारित होना चाहिए, जो वस्तुनिष्ठ तर्क पर आधारित है, न कि व्यक्तिगत धारणा पर।

xiii) राज्य या सार्वजनिक निकाय या सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था को कुछ हद तक स्वीकार्य छूट दी जानी चाहिए।

(8.7) उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिकर के आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने के संबंध में न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए माननीय आयुक्त द्वारा दिया गया निर्णय अनुचित है, विशेष रूप से दावेदारों की स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने परिवार के एकमात्र पालनकर्ता को खो दिया है और नियोक्ता का पता लगाने में उन्हें वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इस न्यायालय की राय में, माननीय आयुक्त द्वारा दावा याचिका प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब को क्षमा करना पूर्णतः उचित था, यह मानते हुए कि श्रमिक की मृत्यु की तिथि से दो वर्ष की अवधि के बाद दावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण था। पर्याप्त कारण पाते हुए विलंब को क्षमा करने में माननीय आयुक्त द्वारा प्रयोग किया गया न्यायिक विवेक न तो विकृत है और न ही मनमाना है, जिसके लिए अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। मैं एतद्द्वारा माननीय आयुक्त द्वारा दिए गए उक्त निर्णय की पुष्टि करता हूँ और इस प्रकार विधि के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर तदनुसार देता हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अपीलकर्ता/नियोक्ता के विरुद्ध विधि के दोनों सारभूत प्रश्नों का उत्तर दिए जाने के बाद, अपील अपास्त किए जाने योग्य है और तदनुसार अपास्त की जाती है।

(10) वादव्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नंही किया जाता है ।

हस्ताक्षर/-

संजय के. अग्रवाल,

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated **By ----------Ankita Shrivastava**